गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की चौदहवीं बैठक दिनाँकः 10 जुलाई 2012 को प्रातः 11.00 बजे कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुयेः

(क) कुलपतिः

1. **श्री एस0आर0लाखा** ...... अध्यक्ष
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा निर्दिष्ट नामः

2. **प्रो0 राम कुमार गरवा** ...... सदस्य
4 सी0 मोती बांध रोड
पोस्ट- निन्देर
विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया (वीकेआईए)
जयपुर - 302 013

3. **प्रो0 रणजीत सिंह** ...... सदस्य
डी0-42, आयुध विहार, सेक्टर-13
प्लाट नम्बर-3, द्वारिका
नई दिल्ली-110075

4. **प्रो0 एस0के0दुबे** ...... सदस्य
पूर्व निदेशक, आई.आई.टी., खड़गपुर
इन्डियन इन्सटीट्यूट आफ टेक्नोलाजी,
हौजखास,
नई दिल्ली-110 016

(घ) विश्वविद्यालय के आचार्यः

5. **प्रो0 महावीर सिंह** ...... सदस्य
प्रोफेसर
एवं डीन एकेडमिक्स, डीन, स्कूल आफ बायोटेक
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

6. **प्रो0 के0पी0सिंह,** ...... सदस्य
डीन, छात्र कल्याण एवं प्लानिंग एवं रिसर्च,
डीन (इं) स्कूल आफ सोशल साइंसेज एवं बुद्धिस्ट स्टडीज
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्यः

7. **प्रो0अनुराधा मिश्रा,** ...... सदस्य
डीन, स्कूल आफ वोकेशनल स्टडीज एवं एप्लाइड साइंस
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

117

8. **प्रो0बी0बी0 गुप्ता** ...... सदस्य
डीन, स्कूल आफ इंजीनियरिंग
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

9. **डा0 ईला कुमार,** ...... सदस्य
डीन, (इं) स्कूल आफ आई0सी0टी0
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

10. **डा0 नीति राणा,** ...... सदस्य
डीन (इं), स्कूल आफ मैनेजमेंट
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

11. **डा0 रवीन्द्र प्रताप,** ...... सदस्य
डीन(इं), स्कूल आफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेश
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

12. **डा0 आनन्द सिंह** ...... सदस्य
डीन (इं), स्कूल आफ बुद्धिश्ट स्टडीज एवं सिविलाइजेशन
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

(च) **औद्योगिक विकास विभाग से प्रतिनिधिः**

...... सदस्य

13. **श्री रमारमण,** आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा।

14. **प्रमोद कुमार अग्रवाल** ...... सचिव
कुलसचिव, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

विशेष आमंत्रितः

1. **महाप्रबन्धक, परियोजना**
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा।

2. **श्री जगदीश चन्द्र,**
महाप्रबन्धक, वित्त
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं
वित्त अधिकारी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा।

जो सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :
प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक नाम निर्देशितीः

1. **डा0 रेनु बापना** ...... सदस्य
सलाहकार (यू.बी.)
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
सातवां तल, चन्द्र लोक भवन
नई दिल्ली।

116

::कार्यवाही का विवरण::

14.12.01 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 27 जनवरी, 2012 को सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 27 जनवरी, 2012 को सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.02 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 27 जनवरी, 2012 को सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 27 जनवरी, 2012 को सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.03 **विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक पदों पर चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के अध्यादेश की धारा (4) के अनुरुप गठित चयन समितियों की संस्तुयों के उपरान्त नियुक्त किये गये संकाय सदस्यों की सूची से बोर्ड अवगत हुआ चयन की संस्तुतियों का विवरण निम्नलिखित हैः।

स्कूल आफ हयुमिनिटीज एवं सोशल साइंसः

कम संख्या	नाम	पद नाम	वेतनमान
1.	सुश्री गार्गी मिश्रा	रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएट	रू0 33000/- प्रतिमाह समेकित वेतन
2.	डा0 बबीता देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर	पी0बी03-रू0(15600-39100) ए0जी0 जी रू. 8000/-

चयन समितियों की संस्तुतियों के उपरान्त नियुक्त उपरोक्त संकाय सदस्यों की सूची को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.04 **विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले संकाय सदस्यों का विवरण।**

विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों को चयन समितियों के माध्यम से एवं परिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत जिन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है उस सूची को बोर्ड द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्कूल का नाम
1.	प्रो0भारत भूषण गुप्ता	प्रोफेसर (समेकित वेतन)	01.02.2012	स्कूल आफ इंजीनियरिंग
2.	प्रो0एस0एन0 मुखोपाध्याय	,,	10.02.2012	स्कूल आफ बायोटेक
3.	सुश्री गार्गी मिश्रा	रिसर्च/ फेकल्टी एसोशिएट	11 मई 2012	स्कूल आफ ह्युमिनिटीज एवं सोशल साइंस
4.	डा0 बबीता देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर	25 जून 2012	स्कूल आफ ह्युमिनिटीज एवं सोशल साइंस

14.12.05 **भवन आवंटन समिति द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय की भवन आवंटन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अन्य श्रेणी के रिक्त आवास उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी संस्तुतियों पर विचार विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि सम्बन्धित श्रेणी के कुछ आवास सुरक्षित रख लिये जायें जिससे भविष्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले सदस्यों को उनकी श्रेणी के अनुसार आवास उपलब्ध हो सकें।

भवन आवंटन समिति द्वारा प्रेषित इस संस्तुति कि; सेवाऐं समाप्त/त्यागपत्र/स्थानान्तरण/मृत्यु की स्थिति में भवन 30 दिन के अन्दर खाली कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त अविध के पूर्ण होने एवम् भवन खाली न किए जाने कि स्थिति में जिसका किराया ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण द्वारा निर्धारित बाजार दर के आधार पर वसूला जाएगा। जिसकी दरे निम्नवृत हैः

टाईप II	रू. 2,200/- प्रतिमाह
टाईप III	रू. 3,500/- प्रतिमाह
टाईप IV	रू. 5,500/- प्रतिमाह
टाईप V	रू. 6,500/- प्रतिमाह
टाईप VI	रू. 7,000/- प्रतिमाह

बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बाजार दर के आधार पर अधिकतम 2 माह तक निवास अनुमन्य होगा, तदोपरान्त निवास खाली करना अनिवार्य होगा। यदि दो माह बाद आवास खाली नहीं किया जाता है तो अनधिकृत अध्यासी मानते हुए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा इस अविध में आवास में टूट-फूट का व्यय भार सम्बन्धित अध्यासी द्वारा वहन किया जाये।

114

14.12.06 **चीफ प्राक्टर (कुल अनुशासक) की नियुक्ति एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु तैयार अध्यादेश पर विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक चीफ प्राक्टर (मुख्य कुलानुशासक) की नियुक्ति एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु तैयार किये गये अध्यादेश (Ordinance) पर विचार- विमर्श कर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया । चीफ प्राक्टर (कुल अनुशासक) का दायित्व निर्वहन करने वाले संकाय सदस्य को 5000/- प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किए जाने सम्बंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.07 **विदेशी छात्रों के विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में तैयार किये गये अध्यादेश एवं नियमावली पर विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र-छात्राओं को प्रवेश एवं इससे संबधित समस्त बिन्दुओं पर नियमों एवं सुसंगत विधियों के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारुप अध्यादेश को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.08 **स्व0 डा0 अशोक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल आफ लॉ जस्टिस एवं गवर्नेश की चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान हेतु विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एण्ड गवर्नेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डा0 आशोक वर्मा की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पूर्व डा0 वर्मा के इलाज में व्यय हुई धनराशि रू0 4,93,975.00 का भुगतान मै0 यर्थाथ वैलनेश अस्पताल एण्ड ट्रामा सेन्टर, ग्रेटर नोएडा को इस शर्त के साथ किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया कि अस्पताल एवं डा0 वर्मा के परिवार से इसके सत्यापन उपरान्त यथोचित सत्यापित धनराशि का भुगतान अस्पताल को किया जाएगा।

14.12.09 **शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में कम से कम एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करने के सम्बन्ध में।**

शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में कम से कम एक वर्ष की अनिवार्य सेवा करने से सम्बन्धित शर्तो पर विचार करते हुये प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया कि किसी भी संकाय सदस्य अथवा शिक्षणेत्तर वर्ग मे कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक किसी दूसरे संस्थान में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाये।

113

तत्पश्चात् एक वर्ष में अधिकतम दो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जायें। यदि किसी संकाय/शिक्षणेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवाओं से, चयन अथवा किन्ही अन्य कारणों से कार्यमुक्त होना चाहता है तो उसे विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने के लिये तीन माह का अग्रिम नोटिस देना होगा। यदि संकाय/शिक्षणेत्तर कर्मचारी तत्काल कार्यमुक्त होने के लिये आवेदन करते हैं तो उस संकाय सदस्य अथवा शिक्षणेत्तर वर्ग के कर्मचारी को तीन माह के बराबर वेतन को विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर, नोटिस अवधि में किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा। प्रबन्ध बोर्ड ने यह भी अपेक्षा की कि इस निर्णय को सेवा नियमों में सम्मिलित कर लिया जाये।

14.12.10 **स्कूल आफ मैनेजमेंट में एक नया पाठ्यक्रम MBA (Tourism & Travel) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के स्कूल आफ मैनेजमेंट में एक नया पाठ्यक्रम MBA (Tourism & Travel) दो वर्षीय 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2013-14 से आरम्भ किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.11 **उप कुलसचिव (Deputy Registrar) का एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के बढ़ते हुये प्रशासनिक कार्यो के सफल एवं समयबद्ध सम्पादन तथा सम्बन्धित विषयों पर विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम एवं अध्यादेश की धाराओं के अनुरुप निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक उप कुलसचिव का पद वेतनमान पी0बी0-03 (15600-39100) ग्रेड पे 7600/- में सृजित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.12 **प्रबन्ध बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.11.01 व 11.11.02 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में गठित हुई समिति का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध को अवगत कराया जाना।**

प्रबन्ध बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.11.01 व 11.11.02 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियमित करने व संविदा कर्मियों के समस्त प्रकरणों का परीक्षण ~~करने~~ करने हेतु पुनर्गठन समिति को बोर्ड ने संज्ञान में लिया एवं अनुमोदन प्रदान किया।

112

<u>पुर्नगठित समिति इस प्रकार है:</u>

1. प्रो0 रामकुमार गरवा ...... सदस्य प्रबन्ध बोर्ड,
2. प्रो0 एस0के दुबे ...... सदस्य प्रबन्ध बोर्ड,
3. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ...... कुलसचिव,
4. प्रो0 महावीर सिंह ...... प्रोफेसर, स्कूल आफ ह्युमिनिटीज एण्ड सोशल सांइसेस

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को इस सन्दर्भित समिति में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के अन्य सदस्यों को भी विशेष आमंत्रित (special invitee) के रूप में शामिल किए जाने हेतु अधिकृत किया गया।

14.12.13 <u>विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2012-13 से आरम्भ किये जा रहे नये पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त किया जाना।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2012-13 से आरम्भ किये जा रहे नये पाठ्यक्रम को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

Name of School	Name of Course	No. of Seats
School of Vocational Studies & Applied Sciences	**Food Processing & Technology:** (Integrated Dual Degree Programme) -05 year B.Tech+M.Tech/MBA	**60**
School of Engineering	**Architecture & Planning:** (Integrated Dual Degree Programme) -06 year B.Arch.+M.Arch./M.Planning/MBA	**45**
	Renewable Energy & Management: M.Tech in Renewable Energy & Management – 02 year	**30**
School of Law, Justice & Governance	B.A. + L.L.B. (05 year Integrated Dual Degree Programme	**120**

14.12.14 <u>वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 का पुनरीक्षित अनुमानित आय व्ययक (बजट) पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 का पुनरीक्षित अनुमानित आय व्ययक (बजट) पर विचार विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.15 <u>वित्तीय वर्ष 2011-12 की बैलैंश शीट प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2011-12 की बैलेश शीट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

111

14.12.16 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षणेत्तर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विनियमित (Regularisation) के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में उत्पन्न हुई विसंगति का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षणेत्तर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विनियमित (Regularisation) के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में उत्पन्न हुई विसंगति का निराकरण किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया एवं दिनाँकः 10 फरवरी 2011 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की दसवीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.10.12(3) में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड की 10वीं बैठक के बिन्दु संख्या–11.10.12(3) में लिये गये निर्णय को संरक्षित रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

*"**शैक्षिक पदः***

1. ऐसे संकाय सदस्यों को नियमित किया जाना जिनका चयन विधिवत् गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अथवा परिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आमंत्रण के आधार पर हुआ हो एवं अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनाँक से दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनाँक के उत्तरवर्ती दिनाँक से नियमित किया जाये।

2. ऐसे संकाय सदस्यों को नियमित किया जाना जो विश्वविद्यालय की सेवा में संविदा के आधार पर कार्यरत थे तत्पश्चात उन सदस्यों का चयन विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा हो चुका है। ऐसे सदस्यों की 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जायेगी। यदि प्रथम नियुक्ति की दिनाँक तथा विधिवत् चयन समिति से चयनित होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनाँक का अन्तराल 02 वर्ष से अधिक है तो भी सेवा का नियमितिकरण विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा चयनित होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनाँक से ही प्रभावी होगा।

3.

शिक्षणेत्तर पदः

ऐसे शिक्षणेत्तर अधिकारी/ कर्मचारियों को नियमित किया जाना जो विश्वविद्यालय की सेवा में पूर्णकालिक वेतनमान में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति की दिनाँक से 02 वर्ष तक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को दो वर्ष पूर्ण करने की दिनाँक के उत्तरवर्ती दिनाँक से नियमित किया जाये।"

प्रबन्ध बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.11.01 में गठित समिति की दिनांक 26 मई 2011 को सम्पन्न हुई बैठक में विनियमितीकरण हेतु प्रस्तुत की गई संस्तुतियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.12.17 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं अनुमोदन।

(अ) वित्त समिति की दिनाँकः 06 जुलाई 2012 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत।

वित्त समिति की दिनाँकः 06 जुलाई 2012 को सम्पन्न हुई ग्यारहवी बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।

110

(ब) **<u>विद्या परिषद की दिनाँकः 06 जुलाई 2012 को सम्पन्न हुई दसवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुतः</u>**

विद्या परिषद की दिनाँकः 06 जुलाई 2012 को सम्पन्न हुई दसवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।

(स) **<u>श्री उमाकान्त अहिरवार, अनुभाग अधीक्षक की सेवाओं को विश्वविद्यालय में विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

प्रबन्ध बोर्ड की 11वीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.11.01 द्वारा शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विनियमितीकरण हेतु गठित समिति की अनुसंशा के आधार पर श्री उमाकान्त अहिरवार, अनुभाग अधीक्षक द्वारा अपने पैतृक संस्थान में त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः प्रबन्ध बोर्ड की 11वीं बैठक के बिन्दु संख्या 11.11.01 द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री उमाकान्त अहिरवार, अनुभाग अधीक्षक की सेवाओं को विश्वविद्यालय में विनियमित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(द) <u>कुलसचिव द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया जाना।</u>

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–अर्द्धशा0 प0स0–टी–117/दो–2–2012 दिनाँक 05 मई, 2012 के अनुपालन में दिनाँक 07 मई, 2012 को कुलसचिव के पद पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम–2002 एवं संशोधित अधिनियम–2008 की धारा–13 में संशोधित मूल नियम के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

14/7/12

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
सदस्य सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

14-7-12

(एस0आर0लाखा)
अध्यक्षक, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय